भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड (RAILWAY BOARD)

**No.2023/O&M/12/4/AVRSP-2024** **Dated:-14.08.2024**

**Sub: Calling of e-self nominations through HRMS Award Module for Ati Vishisht Rail Seva Puraskar (AVRSP)-2024 (For Railway Board)**

---

Every year, Railway Week is celebrated from 10th to 16th April. During the Central Function, Award is presented by the Hon'ble MR to selected Officers/staff for their exemplary, outstanding and meritorious performance. Railway Week Award for Outstanding service is the prestigious lifetime award.

2. The entire award eco-system conferred by Ministry of Railways (Railway Board) was revised and the revised norms were circulated to All Indian Railways/PUs/Other Units/RB vide Board's Letter/Note No. 2023/O&M/12/4 dated 11.04.2023. On the revised norms, it has been decided to call e-self nomination through HRMS Award Module from Board's Officers/Staff for grant of Ati Vishisht Rail Seva Puraskar (AVRSP) – 2024 at Ministry of Railways level. The salient features for AVRSP-2024 are as under:

a) Name of Award : **'Ati Vishisht Rail Seva Puraskar-2024'**
**'अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार-2024'**
b) Number of awardees : restricted to maximum 100 numbers.
c) No Cash component except in posthumous cases, which would be ₹50,000/- per case.
d) Silver Medal & Merit Certificate will be presented to the awardees.

3. E-self nominations of Officers/Staff for grant of 'अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार', 2024 in Board's Office are invited through HRMS Award Module for further consideration by Board as per the guidelines indicated at **Annexure- I & II.**

4. The last date for forwarding of e-self nomination through HRMS Award Module to Railway Board is **14.09.2024**.

**Contd.**

5. Details regarding the schedule, venue, and other specifics of the presentation ceremony will be communicated separately.

6. HRMS Award Module may be accessed through the internet link **(https://hrms.indianrail.gov.in/HRMS/login).**

**Encl.: 2**

**(Aruna Nayar)**
**Secretary/Railway Board**
**Tele No.:011-23385227**
**Email ID: secyrb@rb.railnet.gov.in**
**Room No. 227, 2nd Floor, Railway Board**

a) DG/HR, DG/RPF, DG/RHS, DG/Safety
b) All Additional Members/PEDs
c) ED/E&R, JS, JS/G, JS/E, JS/D, JS/M, JS/P, EO, Dir/OL, Dir/I&P

Copy to

CRB & CEO/RB, MF, M/Infra, M/O&BD, M/TRS
ED/CC

Copy for kind information to:

EDPG/MR, JDPG/MoSR(S) & Sectt. of MOSR(R)

**ANNEXURE-I**

**Guidelines for sending e-self nominations through HRMS Award Module for Ati Vishisht Rail Seva Puraskar (AVRSP), 2024 (For Railway Board)**

1. Category under which Nomination to be sent:-

| | **Category** |
|---|---|
| **I** | New Innovations/processes/procedures leading to economies in expenditure, improvement in productivity, import substitution etc. |
| **II** | Meritorious acts even in disregard to personal safety leading to protection of life and property on Railways |
| **III** | Special efforts made to increase earnings and to tackle ticketless travel, thefts, etc. |
| **IV** | Exemplary work done to improve operations, security and safety, better maintenance and utilization of assets |
| **V** | Completion of projects etc. in record time |
| **VI** | Outstanding performance in the field of sports, leading to national/international recognition |
| **VII** | Outstanding performance in any other field |

**Note: Nomination of official/staff may be restricted to any one of above seven categories.**

2. E-self nominations for the **Ati Vishisht Rail Seva Puraskar (AVRSP)** should be submitted via HRMS Award Module. When filling the form, it should be ensured that information related to Name, Zone, Unit, and Designation is accurately provided in Hindi also. The form must include details regarding employees' current post and maximum up to the last five posts held. The applicant must also fill the details (HRMS ID/Name) of his/her controlling officer in the relevant field. The applicant is also required to fill his/her active E-mail ID.

3. Before filling e-self nomination through HRMS Award Module, applicants are advised to go through the **User Manual** available at HRMS Award Module dashboard.

4. **A citation or write-up of up to 1000 characters**, specific to the category under which the nomination is being made, must be entered in the designated section of the e-form within HRMS Award Module. Nominations are to be made for the work done up to **31st December 2023**. The citation should indicate the exceptional points with respect to category for which nomination is being made.

5. It is advised that officers/staff who have done exceptional work in real sense may submit e-self nomination through HRMS Award Module, so that, only truly deserving employees meriting recognition at National level may only be selected for the Award.

6. Group 'C' and erstwhile Group 'D' categories of Railway staff may normally submit e-self nomination. In exceptional cases, Officers upto JA Grade/Selection Grade, who have done exemplary work, may also submit e-self nomination. **However, officers above the Selection Grade may not submit e-self nomination as scheme does not cover officers above the level of Selection Grade. However, Selection Grade officers in non-functional SAG are also eligible provided they remain in SG till 16th April, 2024.**

**Contd.**

7. No recommendation for **Group Award** be sent as Group Awards are neither considered nor given during the Central Function/**Ati Vishisht Rail Seva Puraskar** Presentation function.

8. **Ati Vishisht Rail Seva Puraskar** is a life time award, as such those officers/staff who have received the award (Railway Week National Award/National Railways Award) once in the past should normally not submit e-self nomination again except in case where some exemplary commendable performance has been shown by them. An undertaking must be filled by the employee in the e-form, confirming whether he/she had previously received or been selected for the MR Award, National Railways Award, or AVRSP.

9. In case of those officials, who are not working under the roll of ERB-I, II or V or are not drawing salary from Railway Board or their service particulars are not being maintained at Board Office, then prior to forwarding their e-self nominations, their D&AR and/ Vigilance clearance be also obtained from their controlling unit by controlling officer before further forwarding their nomination.

10. No abbreviations should be used and no column be left blank while filling in the e-self nomination form.

11. **Nomination to be forwarded is to be sent as per the user manual available at the HRMS Award Module dashboard.** No hard copy of nominations is to be sent.

**12. The minimum level at which the nomination is to be approved/forwarded for consideration is PED/HAG level.**

13. If any details like name, photo, zone, designation, etc. of the employee on HRMS portal are not correct/up to date, the employee needs to get it corrected in his Employee Master by raising a request through **Employee Self Service (ESS) module.**

14. Detailed guidelines for users and admins for AVRSP, VRSP and RSP are issued vide Railway **Board's Letter No. PC-VII/2024/HRMS/7 dt. 31.07.2024.**

*****

Annexure-II

## List of Nominations for Ati Vishisht Rail Seva Puraskar(AVRSP), 2024

**Name of the Railway/PU/Unit______________________________**

**Or**

**Name of the Directorate/Unit in Railway Board________________________**

**Total Number of Nominations:______________________________**

**Details of Nominee:**

| S.No. | Name<br><br>(Shri/Smt/Ms.) | Desig/Deptt. | Category under which nominated (As per item No 1 of Annexure-I | Pay Level | DOB | Mobile No. & email (Nominee & Immediate Senior) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**No DAR and Vigilance case is pending against the above official.**

**Signature of the Approving Authority**

**Name_______________________**

**Designation________________**

भारत सरकार/Government of India
रेल मंत्रालय/Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड/Railway Board)

सं.2023/ओएंडएम/12/4/एवीआरएसपी-2024 दिनांक 14.08.2024

**विषय: अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार (एवीआरएसपी) - 2024 के लिए एचआरएमएस अवॉर्ड मॉड्यूल द्वारा ई स्व-नामांकन आमंत्रण (रेलवे बोर्ड के लिए)।**

\- - -

प्रत्येक वर्ष 10 से 16 अप्रैल तक रेल सप्ताह मनाया जाता है। इस मुख्य समारोह के दौरान माननीय रेल मंत्री द्वारा चयनित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके अनुकरणीय, उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य-निष्पादन के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। उत्कृष्ट सेवा हेतु रेल सप्ताह पुरस्कार एक प्रतिष्ठित सेवाकालीन उपलब्धि पुरस्कार है।

2\. रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा संपूर्ण पुरस्कार परितंत्र पर विचार-विमर्श किए जाने के पश्चात् इसे संशोधित किया गया था तथा रेलवे बोर्ड के दिनांक 11.04.2023 के पत्र सं./नोट सं. 2023/ओएंडएम/12/4 के तहत सभी क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों/अन्य इकाइयों/रेलवे बोर्ड को संशोधित मानदंड परिपत्रित किए गए थे। संशोधित मानदंडों के आधार पर, रेल मंत्रालय स्तर पर अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार (एवीआरएसपी) - 2024 प्रदान करने के लिए बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों से एचआरएमएस अवॉर्ड मॉड्यूल के माध्यम से ई स्व-नामांकन (ई-सेल्फ नॉमिनेशन) आमंत्रित करने का विनिश्चय किया गया है। अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार - 2024 की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

क) पुरस्कार का नाम : **'अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार - 2024'**

ख) पुरस्कार विजेताओं की संख्या : अधिकतम 100 तक सीमित।

ग) मरणोपरांत मामलों के अतिरिक्त, जो 50,000 रुपए प्रति मामला होगा, कोई नकद पुरस्कार राशि नहीं होगी।

घ) पुरस्कार विजेताओं को रजत पदक तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।

3\. बोर्ड कार्यालय में **अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार', 2024** प्रदान करने के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों के ई स्व-नामांकन (ई-सेल्फ नॉमिनेशन) बोर्ड द्वारा आगे विचार करने के लिए एचआरएमएस अवॉर्ड मॉड्यूल के माध्यम से **अनुलग्नक- I एवं II** में उल्लिखित दिशानिदेशों के अनुसार आमंत्रित किए जाते हैं।

4\. रेलवे बोर्ड को एचआरएमएस अवॉर्ड मॉड्यूल के माध्यम से ई स्व-नामांकन (ई-सेल्फ नॉमिनेशन) अग्रेषित करने की अंतिम तिथि **14.09.2024** है।

5. पुरस्कार समारोह का कार्यक्रम, स्थान तथा अन्य संबंधित सूचनाओं के विवरण अलग से सूचित किए जाएंगे।

6. एचआरएमएस अवॉर्ड मॉड्यूल इंटरनेट लिंक (https://hrms.indianrail.gov.in/HRMS/login) द्वारा एक्सेस किया जा सकता है।

**संलग्नक : 2**


अरुणा नायर

**(अरुणा नायर)**

**सचिव/रेलवे बोर्ड**

**दूरभाष सं.: 011-23385227**

**ईमेल आईडी: secyrb@rb.railnet.gov.in**

**कमरा सं. 227, द्वितीय तल, रेलवे बोर्ड**


क) महानिदेशक/मानव संसाधन, महानिदेशक/रेल सुरक्षा बल, महानिदेशक/रेल स्वास्थ्य सेवा, महानिदेशक/संरक्षा

ख) सभी अपर सदस्य/प्रधान कार्यपालक निदेशक

ग) कार्यपालक निदेशक/ईएंडआर, संयुक्त सचिव, संयुक्त सचिव/जी, संयुक्त सचिव/ई, संयुक्त सचिव/डी, संयुक्त सचिव/एम, संयुक्त सचिव/पी, ईओ, निदेशक/राजभाषा, निदेशक/आईएंडपी

<u>प्रतिलिपि अग्रेषित</u>

अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी/रेलवे बोर्ड, सदस्य वित्त, सदस्य/अवसंरचना, सदस्य/परिचालन एवं व्यवसाय विकास, सदस्य/कर्षण एवं चल स्टॉक, कार्यपालक निदेशक समवेत समन्वय

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ :</u>

कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल मंत्री, संयुक्त निदेशक जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री (एस) और रेल राज्य मंत्री (आर) का सचिवालय

<u>अनुलग्नक-I</u>

**अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार (एवीआरएसपी) - 2024 (रेलवे बोर्ड के लिए) के लिए एचआरएमएस अवॉर्ड मॉड्यूल ई स्व-नामांकन भेजे जाने हेतु दिशानिर्देश**

1. कोटियां, जिनके अंतर्गत नामांकन भेजे जाने हैं:-

| | **कोटि** |
|---|---|
| I | नए नवोन्मेष/प्रक्रियाएं/पद्धतियां, जो व्यय में किफायत, उत्पादन में सुधार, आयात प्रतिस्थापन आदि में परिणत हुए। |
| II | अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना सराहनीय कार्य जो रेलवे में जीवन और संपत्ति की सुरक्षा में परिणत हुए। |
| III | आय में वृद्धि करने और बिना टिकट यात्रा, चोरी आदि की घटनाओं पर काबू पाने के लिए किए गए विशेष प्रयास। |
| IV | परिचालन, सुरक्षा एवं संरक्षा को बेहतर बनाने, परिसंपत्तियों के बेहतर अनुरक्षण और उपयोग के लिए किए गए अनुकरणीय कार्य |
| V | परियोजनाओं आदि को कीर्तिमान समय में पूरा करना |
| VI | खेलकूद के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन जो राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सम्मान में परिणत हुए |
| VII | किसी अन्य क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन |

**नोट: अधिकारी/कर्मचारी का नामांकन उपरोक्त 7 में से किसी भी एक कोटि में ही सीमित होगा।**

2. **अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार** के लिए ई स्व-नामांकन एचआरएमएस अवॉर्ड मॉड्यूल के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे। फॉर्म भरते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि नाम, क्षेत्र, इकाई तथा पदनाम संबंधी सूचना हिंदी में भी शुद्धता के साथ उपलब्ध करवाई जाए। फॉर्म में कर्मचारी के वर्तमान पद तथा संभाले गए अधिकतम पिछले 5 पदों संबंधी विवरण होना चाहिए। आवेदक द्वारा सुसंगत स्थान में अपने नियंत्रण अधिकारी का विवरण (एचआरएमएस आईडी/नाम) भी अवश्य भरा जाए। आवेदक द्वारा अपनी सक्रिय ईमेल आईडी भी अनिवार्य रूप से भरी जाए।

3. आवेदकों को सुझाव दिया जाता है कि एचआरएमएस अवॉर्ड मॉड्यूल के माध्यम से ई स्व-नामांकन भरने से पहले एचआरएमएस अवॉर्ड मॉड्यूल डैशबोर्ड पर उपलब्ध **उपयोगकर्ता मैनुअल** पढ़ लें।

4. एचआरएमएस अवॉर्ड मॉड्यूल के अंदर ई-फॉर्म के निर्धारित खंड में, जिस श्रेणी विशेष के अंतर्गत नामांकन किया जा रहा है, उस से संबंधित **1000 शब्दों तक की प्रशस्ति अथवा आलेख** अवश्य भरा जाए। नामांकन दिनांक **31 दिसंबर, 2023** तक किए गए कार्य के लिए किया जाना है। जिस श्रेणी के संबंध में नामांकन किया जा रहा है, प्रशस्ति में उससे संबंधित विशिष्ट बिंदु उल्लिखित होने चाहिएं।

5. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों नें वास्तव में विशिष्ट कार्य किए हैं केवल वे ही एचआरएमएस अवॉर्ड मॉड्यूल के माध्यम से ई स्व-नामांकन प्रस्तुत करें ताकि पुरस्कार के लिए केवल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने वाले वास्तविक योग्य कर्मचारियों का ही चयन किया जा सके।

6. समूह 'ग' तथा भूतपूर्व समूह 'घ' श्रेणी के रेल कर्मचारी सामन्य रूप से ई स्व-नामांकन भर सकते हैं। आपवादिक मामलों में, अनुकरणीय कार्य करने वाले कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/चयन ग्रेड तक के अधिकारी भी ई स्व-नामांकन भर सकते हैं। **बहरहाल, चयन ग्रेड से ऊपर के अधिकारी ई स्व-नामांकन नहीं भर सकते क्योंकि योजना में चयन ग्रेड से ऊपर के अधिकारी शामिल नहीं हैं। हालांकि, अकार्यात्मक वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में चयन ग्रेड अधिकारी भी पात्र हैं बशर्ते वे 16 अप्रैल 2024 तक चयन ग्रेड में रहे हों।**

7. **समूह पुरस्कार** के लिए कोई सिफारिश नहीं भेजी जानी चाहिए क्योंकि मुख्य समारोह/**अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार** समारोह के दौरान समूह पुरस्कारों पर न तो विचार किया जाता है और न ही प्रदान किए जाते हैं।

8. **अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार** एक सेवाकालीन उपलब्धि पुरस्कार है, इसलिए जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने विगत में एक बार पुरस्कार (रेल सप्ताह राष्ट्रीय पुरस्कार/राष्ट्रीय रेल पुरस्कार) प्राप्त किया है, उन्हें सामान्यतः पुनः ई-स्व-नामांकन नहीं करना चाहिए, सिवाय उन मामलों के जहां उनके द्वारा कुछ अनुकरणीय सराहनीय प्रदर्शन किया गया हो। कर्मचारी द्वारा ई-फॉर्म में एक वचनबंध (अंडरटेकिंग) अवश्य भरी जानी चाहिए, जिसमें यह पुष्टि की जाए कि क्या वे पहले रेल मंत्री पुरस्कार, राष्ट्रीय रेल पुरस्कार या अति विशिष्ट राष्ट्रीय रेल सेवा पुरस्कार के लिए चुने गए थे या नहीं।

9. ऐसे अधिकारियों के मामलों में, जो ईआरबी-I, II या V की नामावली के अंतर्गत कार्य नहीं कर रहे हैं या रेलवे बोर्ड से वेतन नही ले रहे हैं अथवा उनके सेवा विवरण बोर्ड कार्यालय में नहीं रखे जा रहे हैं, तो उनके ई-स्व-नामांकन को अग्रेषित करने से पूर्व नियंत्रक अधिकारी द्वारा पहले उनकी नियंत्रक इकाई से उनकी अनुशासन एवं अपील नियम और/सतर्कता क्लीयरेंस भी प्राप्त की जाए।

10. ई-स्व-नामांकन फॉर्म भरते समय किसी भी संक्षिप्ति का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए और कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

11. **अग्रेषित किया जाने वाला नामांकन एचआरएमएस** अवार्ड मॉड्यूल डैशबोर्ड पर उपलब्ध उपयोगकर्ता मैनुअल के अनुसार भेजा जाए। नामांकन की कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाए।

12. **नामांकन हेतु अनुमोदित/विचार के लिए अग्रेषित करने का न्यूनतम स्तर पीईडी/एचएजी है।**

13. यदि एचआरएमएस पोर्टल पर कर्मचारी का नाम, फोटो, क्षेत्र, पदनाम आदि जैसे कोई विवरण सही/अद्यतन नहीं हैं, तो कर्मचारी को **कर्मचारी स्वयं सेवा (ईएसएस)** मॉड्यूल के माध्यम से अनुरोध दर्ज करके अपने कर्मचारी मास्टर में इसे सही करवाने की आवश्यकता है।

14. अति विशिष्ट राष्ट्रीय रेल सेवा पुरस्कार, विशिष्ट राष्ट्रीय रेल सेवा पुरस्कार और रेल सेवा पुरस्कार के लिए यूजर और एड्मिन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश **रेलवे बोर्ड के दिनांक 31.07.2024 के पत्र संख्या पीसी-VII/2024/एचआरएमएस/7** तहत जारी किए गए हैं।

*****

अनुलग्नक- II

अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार (एवीआरएसपी), 2024 के लिए नामांकन सूची

क्षेत्रीय रेलवे/उत्पादन इकाई/इकाई का नाम ____________________

अथवा

रेलवे बोर्ड में निदेशालय/इकाई का नाम____________________

नामांकनों की कुल संख्या:____________________

नामांकित व्यक्ति का विवरण:

| क्र.सं | नाम/(श्री, श्रीमती, सुश्री) | पदनाम/विभाग | नामांकित श्रेणी (अनुलग्नक-1 की मद संख्या 1 के अनुसार) जिसके लिए नामित किया गया है। | पे लेवल | जन्म तिथि | मोबाइल नं और ई-मेल (उम्मीदवार और उससे आसन्न वरिष्ठ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

उपर्युक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई अनुशासन एवं अपील नियम और सतर्कता मामला लंबित नहीं है।

अनुमोदन प्राधिकारी के हस्ताक्षर

नाम____________________

पदनाम____________________